

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक : 1538 / वाद सं० सी-1303/एस-12/2024,

दिनांक: 05/06/2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

विपक्षी श्री रिकू चौधरी/भवन स्वामी भूडपुर चॉंदनी चौक शिमला बाईपास रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर लगभग 80 बीघा भूमि पर आम के बगीचे के बीच प्लार्टिंग का कार्य किया जा रहा है। एवं स्थल पर दो भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। उक्त अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओं तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० सी-1303/एस-12/2024 योजित किया गया। उक्त अनाधिकृत भू विन्यास निर्माण को दिनांक 11/6/24 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



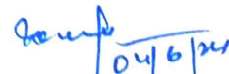
पी०अधि०/अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
- 2-पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3-संबन्धित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री (जे०सी०बी०) संबन्धित अवर अभि०/सहायक अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6-हितवद् व्यक्ति/भवन स्वामी हरभजवाला नियर नाले के पास देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक 11/6/24 को ध्वस्त किया जाना है विपक्षी नियत तिथि से पूर्व स्थल से अपना समान हटालें एवं शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-8952 दिनांक-26.02.2024 के अनुसार मान्य होंगे।

भवदीय,



पी०अधि०/अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

